झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>क्रिमिनल एम0पी0 सं0–12 वर्ष 2017</u>

अब्दुल बहाव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : <u>माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंत विजय सिंह</u>

अपीलकर्त्ता के लिए :– श्रीमती पुष्पा कुमारी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए :– अपर लोक अभियोजक।

<u>02/दिनांकः 13.01.2017</u>

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि 19.10.2013 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ता को ए0बी0ए0 सं0–2914 वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत दी गई थी और उसे चार सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्त्ता अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर सका, इसलिए आत्मसमर्पण की अवधि को कृप्या बढ़ाया जाए।

उपरोक्त निवेदन के मद्देनजर ए0बी0ए0 सं0–2914 वर्ष 2013 में पारित 19.10.2013 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि याचिकाकर्त्ता इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

क्रिमिनल एम0पी0 सं0—12 वर्ष 2017 को अनुज्ञात एवं निष्पादित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति फैक्स के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित करें।

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)